

प्रेषक,

महानिदेशक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

1. महानिदेशक
परिवार कल्याण, उ०प्र०।
2. महानिदेशक
चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।
3. महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तरांचल राज्य देहरादून।
4. निदेशक, रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा।
5. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीतापुर रोड लखनऊ।
7. निदेशक, मेडिकल यूनिवर्सिटी एण्ड एसोसिएट हास्पिटल ग्रेटर नोएडा।
8. मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एच०एस०एस०पी०, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
मुख्यालय/ / मण्डलीय/ जिला व अन्य चिकित्सालय उ०प्र०।
11. अपर निदेशक(प्रशासन), स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
12. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
13. अपर निदेशक
मलेरिया, जवाहर भवन लखनऊ एवं राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
14. महानिरीक्षक, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०।
15. समस्त प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज, (एलोपैथी) उ०प्र०।
16. समस्त प्रधानाचार्य,
संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र, उ०प्र०।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अधीक्षिका
जिला चिकित्सालय(पुरुष/महिला), उ०प्र०।
19. समस्त कारागार अधीक्षक, उ०प्र०।
20. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
21. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ०प्र०।

पत्रांक :- गोपन/वां०गो०प्रवि०/ले०-1 से 2/2016/ 550 लखनऊ, दिनांक 13, मई 2016

विषय :- प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को लेवल-1 से लेवल-2 में पदोन्नति किये जाने हेतु संलग्न सूची में दर्शाये गये चिकित्साधिकारियों की अंकित वर्ष 2015-16 समेत अन्य वांछित वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियों को तत्काल उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया है कि माह जून 2016

तक रिक्त हो रहे लेवल-2 के पदों के सापेक्ष अर्ह चिकित्साधिकारियों की अपूर्ण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को विशेष अभियान चलाकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुये लेवल-1 से लेवल-2 में पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को माह मई के अंत तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाय। किसी भी चिकित्साधिकारी की पदोन्नति यदि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अभाव में नहीं होती है और विभाग के समक्ष कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित नियंत्रक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी, प्रकरण में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी, के निर्देश भी दिये गये हैं।

यहां यह संज्ञान में लाना है कि महानिदेशालय के परिपत्र संख्या-गोपन/वां0गो0प्रवि0/2015/638 दिनांक-17.06.2015 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक-13 जुलाई 2015 द्वारा शासन के पत्र दिनांक-07.05.2015, पत्र दिनांक-30.10.2014 तथा पत्र दिनांक-15.12.2014 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुये पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत लेवल-1 चिकित्साधिकारियों को लेवल-2 में प्रोन्नत किये जाने हेतु उनकी वर्ष 2014-15 समेत अन्य अपूर्ण विगत वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां, जो आपके स्तर पर लम्बित हों, को पूर्ण कराने हेतु सूची प्रेषित करते हुये आपको निर्देशित किया गया था, जो अभी तक आपके स्तर से अपेक्षित है, जो खेदजनक विषय है। आप द्वारा गोपनीय प्रविष्टियां पूर्ण न कराये जाने के कारण शासन को प्रोन्नति प्रस्ताव भेजा जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

गत वर्ष जो चिकित्साधिकारी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अभाव में प्रोन्नति से वंचित रह गये हैं तथा इन चिकित्साधिकारियों की अभी तक वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां आपके स्तर पर लम्बित है। ऐसे 1890 चिकित्साधिकारियों की संलग्न सूची में सेवा विवरण एवं कालम-9 में अपेक्षित गोपनीय प्रविष्टियों के वर्ष का अंकन कर दिया गया है, उक्त सूची में वर्ष 2012 में नवनियुक्त चिकित्साधिकारी जिन्हें शासन द्वारा वरिष्ठता क्रमांक आवंटित किया जा चुका है, के नाम भी सम्मिलित है, जो आपके पास इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इन चिकित्साधिकारियों की पूर्व में अंकित की गई वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की मूल/छायाप्रतियों को प्रमाणित कर मण्डलीय अपर निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तत्काल महानिदेशालय को 07 दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रविष्टि अंकित करते समय निम्न तथ्य अवश्य स्मरण रखें :-

2. यदि किसी चिकित्साधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर पुनर्गठित किया जाता है तो ऐसे चिकित्साधिकारियों की प्रविष्टियां लिखने से पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी से निर्धारित प्रपत्र पर उनके द्वारा संबंधित वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्यांकन प्राप्त कर लिया जाय तदोपरांत उनके तत्समय के मूल तैनाती स्थान के चिकित्सा अधीक्षक/ उप मुख्य चिकित्साधिकारी से संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा की गई इयूटी अवधि का सत्यापन अवश्य करा लिया जाय कि उक्त स्थान से इनका वेतन आहरित किया गया है अथवा नहीं तथा उक्त तथ्य की पुष्टि सेवा पुस्तिका से भी अवश्य कर ली जाय तत्पश्चात् उसका अंकन मूल्यांकन कालम के समक्ष किया जाय, तदोपरांत ही पुनर्गठित प्रविष्टि पर उक्त वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर प्रेषित किया जाय।

3. यदि सूची में अंकित कोई चिकित्साधिकारी उल्लिखित अवधि में इयूटी से अनुपस्थित रहा हो अथवा स्वयं के व्यय पर स्नातकोत्तर अध्ययनरत रहा हो तो उसकी अनुपस्थिति अवधि का उल्लेख चरित्र पंजिका में कर दिया जाय।

4. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप (छायाप्रति संलग्न) पर दिये गये विवरण को पूर्ण रूप से भरकर उपलब्ध करायी जाये, अन्य किसी भी प्रारूप पर उपलब्ध करायी गयी प्रविष्टि अमान्य मानी जायेगी। प्रारूप में प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा यथास्थान नाम, हस्ताक्षर व मोहर का अंकन करते हुये तिथि भी अवश्य अंकित की जाय।

5. संभव है कि सूची में अंकित अनेक चिकित्साधिकारी, जो पूर्व में आपके अधीन कार्यरत रहें हों तथा वर्तमान में अन्य जनपद में स्थानांतरित हो गये हों, जिस कारण सूची में दर्शाया गया तैनाती स्थल परिवर्तित हो सकता है, अतः सूची में चिकित्साधिकारियों के वरिष्ठता क्रमांक, नाम, पिता का नाम आदि सेवा विवरण की पुष्टि करते हुये ऐसे चिकित्साधिकारियों की उल्लिखित वर्षों में अपने-अपने अधीन तैनाती की पुष्टि करते हुये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां संबंधित जनपद/मण्डल से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाये।

6. सूची में अंकित जिन चिकित्साधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही, कोर्टकेस, निलम्बन, अभियोजन स्वीकृति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, मृत्यु, त्याग पत्र स्वीकृत, सेवा समाप्त आदि की स्थिति विद्यमान हो, की सूचना भी उपलब्ध करा दी जाय।

उपांकित प्रकरण अत्यंत महत्पूर्ण है, जिसमें समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त(सूची)।

भवदीय



(सुनील श्रीवास्तव)

महानिदेशक

पत्रांक :- गोपन/वां0गो0प्रवि0/ले0-1 से 2/2016/

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी कम्प्यूटर इंचार्ज, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूची (सी0डी0) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत सूची को पत्र में उल्लिखित समस्त परिधिगत अधिकारियों को उनके कार्यालय के ई-मेल पत्तों पर तत्काल आज ही अपलोड कराते हुये विभागीय वेबसाइट www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
2. श्री ए0 के0 रावत, तकनीकी सहायक, योजना भवन लखनऊ।
3. अध्यक्ष/ महामंत्री, पी0एम0एस0 संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ, सी-141 महानगर, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन (चिकित्सा अनुभाग-8) को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव बंसवाल)

संयुक्त निदेशक (गोपन)

